I/74786/2022

I/74786/2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना अनुभाग–1 देहरादून दिनाँकः 17 नवम्बर, 2022

विषय– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–266/2022 के क्रम में पत्रकारों को दी जाने वाली पत्रकार पेंशन की धनराशि रू0 5000/– से बढ़ाकर रू0 8000/– किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 'मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के अन्तर्गत पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–87/XXII(2)/21–53(सूचना)2002 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–266/2022 के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु, आपके पत्रांक 308/सू0एसं0लो0सं0वि0(प्रेस)16/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2022 के क्रम में शासन स्तर पर हुये सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–87 दिनांक 29 जून, 2021 के बिन्दु सं0–07 पर 'पात्र पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन की प्राविधानित धनराशि को रू0 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) से बढ़ाकर रू0 8000/– (रूपये आठ हजार मात्र) प्रति माह किया जाता है।

2– शासनादेश सं0–87/XXII(2)/21–53(सूचना)2002 दिनांक 29 जून, 2021 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। इसके शेष समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या–I/74786 दिनांक 09-11-22 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Abhinav Kumar
Date: 17-11-2022 10:41:33
(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी
2. आयुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।

Scanned by CamScanner

.o. INFO1/21/2022-XXII-1-Information Department (Computer No. 3425

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

File No. INFO1-4/2/2022-XXII-1-Information Department (Computer No. 35336)

I/68160/2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना अनुभाग–1 देहरादून दिनाँकः 06 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2022

विषय– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–280/2022 के क्रम में उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना का नाम परिवर्तन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–87/XXII(2)/21–53(सूचना)2002 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–280/2022 के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु, आपके पत्रांक 319/सू0एसं0लो0सं0वि0(प्रेस)16/2015, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के क्रम में शासन स्तर पर हुये सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 29 जून, 2021 के बिन्दु सं0–1 पर उल्लिखित "उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना" का नाम परिवर्तित करते हुए "मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना" किया जाता है।

2– उक्त शासनादेश सं0–87/XXII(2)/21–53(सूचना)2002 दिनांक 29 जून, 2021 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। इसके शेष समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

Signed by Abhinav Kumar
Date: 03-10-2022 18:15:37
(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. आयुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Sanjay Singh Tolia
Date: 03-10-2022 18:15:06
(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

Generated from eOffice by REEMA GURUNG, RO-RG, REVIEW OFFICER, Information Department on 07/10/2022 11:40 AM

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–1
मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

1. आवेदक का नाम व पदनाम...
2. समाचार–पत्र/संस्थान का नाम..
3. जन्म तिथि (पुष्टि हेतु जन्म तिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें)......................................
4. आवेदक का स्थायी पता.......................................(स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्ल करें)।
5. वर्तमान निवास/अस्थाई पता...
6. दूरभाष /मोबाइल नम्बर/ई–मेल आई डी...
7. पत्रकारिता अनुभव वर्ष...(विवरण संलग्न करें)
8. 15 वर्षो से निरन्तर राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण.......................................
9. अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त होती है अथवा नही यदि नही तो इस आशय का ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करें)..
10. समस्त श्रोतो से वार्षिक आय ....(उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से आय प्रमाण पत्र संलग्न करे)।
11. आवेदक का बैंक खाता संख्या/पैन नं/आई.एफ.एस.सी कोड संख्या आदि का विवरण (पुष्टि हेतु कैन्सिल्ड चैक/पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)..

घोषणा

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री——————————— घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार दी गई सूचना/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। यदि आवेदन में दर्शायी गई सूचना/अभिलेख असत्य पाये जाते है, तो प्राप्त की गई पेंशन ब्याज सहित सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को वापस कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक–

संलग्नको का विवरण

....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रमाण पत्र
कार्यालय जिला सूचना अधिकारी...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र .... आयु......................... निवासी...के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया है। कार्यालय में प्राप्त अभिलेखों/अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार श्री...वर्ष...................से वर्ष....................तक नियमित राज्य/जनपदीय मान्यता प्राप्त पत्रकार रहे है। इनका आवेदन पत्र सक्षम स्तर पर विचार किये जाने हेतु अग्रसारित किया जाता है।

जिला सूचना अधिकारी हस्ताक्षर एवं मुहर
दिनांक..

नोटः–

जिला सूचना अधिकारी आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व भली भांति नियमों को देख लें तथा पत्रकार की मान्यता नियमित (बिना ब्रेक के) 15 वर्ष रही हो, इसकी पुष्टि कर लें। मान्यता अवधि का वर्षवार स्पष्ट उल्लेख करे।

चेक लिस्ट

1.जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/अन्य कोई सरकारी अभिलेख।

2.निवास प्रमाण पत्र।

3.अनुभव की पुष्टि में 15 वर्षो से नियमित मान्यता प्राप्त पत्रकार होने का प्रमाण पत्र जिला सूचना अधिकारी द्वारा।

4.आय 2.50 लाख रू0 प्रतिवर्ष से कम होने संबंधी आय प्रमाण पत्र।

5.रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र कि किसी अन्य राजकीय पेंशन योजना से आच्छादित नही है तथा जो भी अभिलेख दिये गये है वह सत्य है।

Scanned by CamScanner

संख्या– 87 / XXII-(2) / 21–53(सूचना)2002.

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एंव लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 29 जून, 2021

विषय :– उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–223 / XXII / 16–53(सूचना) / 2002,दिनांक 29 अगस्त, 2016 एवं शासनादेश संख्या–278 / XXII / 16–53(सूचना) / 2002,दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी। उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांक–19 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस)–16 / 2015, दिनांक 07 जनवरी, 2021 एवं पत्रांक–149 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस)–16 / 2015, दिनांक 16 मार्च, 2021 के कम में शासन स्तर पर हुए सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेशो को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. इस योजना का नाम उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना होगा।
2. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितो के लिये पत्रकार कल्याण कोष(कारपस फण्ड) में जमा मूल धनराशि के अर्जित ब्याज के सापेक्ष ही लाभार्थियों का निर्धारण करते हुए पेंशन का भुगतान किया जायेगा तथा इस योजना के तहत पेशन दिये जाने हेतु पत्रकार कल्याण कोष(कारपस फण्ड) की अधिसूचना संख्या–630 / XXII / 2012–6(2)2011,दिनांक 31 अगस्त,2012 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये पत्रकार कल्याण कोष वित्तीय सहायता नियमावली–2012 (यथासंशोधित)के नियम–4 के अन्तर्गत गठित समिति को नामित किया जाता है।
3. पेंशन प्राप्ति हेतु पत्रकार को निम्न पात्रता / शर्ते पूर्ण करनी अनिवार्य होगी:–

(क) वह उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो।

(ख) ऐसे पत्रकार जिसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो अथवा इससे अधिक हो।

(ग) ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो तथा जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू 2.5 लाख से अधिक न हो।

(घ) योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदक को कम से कम 15 वर्षो से सूचना विभाग द्वारा सुसंगत नियमावली के अधीन निरन्तर राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

(ड) उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना की समिति के सदस्य पेंशन के लिये पात्र नहीं होंगे।

(च) किसी भी समाचार पत्र / पत्रिका का स्वामी / मुद्रक / प्रकाशक उक्त पेंशन हेतु अर्ह नहीं होगा।

Ch.gol

4— इस शासनादेश के अन्तर्गत संबंधित पत्रकार को स्वीकृत पेंशन उसकी मृत्यु होने की दशा में उस पर आश्रित पत्नी/पति को इस प्रतिबंध के साथ कि वो किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित न हों, तथा उनकी संपूर्ण वार्षिक आय रू0 2.5 लाख से अधिक न हो, को 50 प्रतिशत कम करते हुए उनके जीवन पर्यन्त प्रदान की जायेगी। आश्रित की मृत्यु की दशा में पेंशन स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5— इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित दो तिहाई सदस्यों की सहमति से पेंशन स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाएगी, जो अन्तिम होगी। इसे वाद का विषय नहीं बनाया जायेगा। समिति की संस्तुति के उपरांत पात्र संबंधित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय सूचना मंत्री का होगा।

6— गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कराई गई पेंशन की धनराशि की वसूली संबंधित पत्रकार से एकमुश्त की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार समिति वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करने में भी सक्षम होगी।

7— शासनादेश के अन्तर्गत पात्र पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि रू0 5000/—(रूपये पांच हजार मात्र) प्रति माह होगी।

8— समिति की संस्ततियों को अन्तिम रूप से मा0 मंत्री, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा।

9— उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या—21 मतदेय/XXVII(5)21—22 दिनांक 17 जून, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या— /XXII—2/21—53(सूचना)002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. आयुक्त कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव